रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2032] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 1, 2014/आश्विन 9, 1936
No. 2032] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 1, 2014/ASVINA 9, 1936

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितंबर, 2014

का.आ. 2575(अ).—दिनांक 17.08.2006 को अधिसूचित मुख्य वैद्युत निरीक्षक एवं वैद्युत निरीक्षकों की अर्हताएं, शक्तियां एवं कार्य नियम, 2006 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 की 36) की धारा 162 की उप-धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्द्वारा उपर्युक्त नियम में उल्लिखित अर्हता एवं शर्त को पूरा करने के अधीन, इस अधिसूचना की तिथि से श्री आशुतोष कुमार सिंह, महाप्रबंधक (रोलिंग स्टॉक, इलेक्ट्रिकल, केएमआरएल) को, कोच्चि मैट्रो रेल लिमिटेड में उनके कार्यकाल तक मुख्य वैद्युत निरीक्षक के रूप में नियुक्ति करती है :

उपर्युक्त उल्लिखित अधिकारी केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा एवं विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2010 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार केएमआरएल के अधिकार वाले क्षेत्रों में वैद्युत कार्यों, वैद्युत स्थापनाओं तथा प्रचालनरत वैद्युत रोलिंग स्टॉक अथवा केएमआरएल के नियंत्रणाधीन/केएमआरएल से संबंधित कार्यों तथा सभी वैद्युत संस्थापनाओं के संबंध शक्तियों का प्रयोग करेंगे और अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे।

केएमआरएल यह सुनिश्चित करेगा कि श्री आशुतोष कुमार सिंह, केएमआरएल में, महाप्रबंधक (रोलिंग स्टॉक एंड इलेक्ट्रिकल) के रूप में उन्हें सौंपे गए कार्य के संबंध में मुख्य वैद्युत निरीक्षक नहीं होंगे।

मुख्य वैद्युत निरीक्षक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा, जो केंद्र सरकार इस उद्देश्य के लिए आवश्यक समझे और ऐसा प्रशिक्षण सरकार की संतुष्टि के स्तर तक पूरा किया जाएगा।

[फा. सं. 42/3/2010-आर. एंड आर.]

ज्योति अरोरा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th September, 2014

S.O. 2575(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 162 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) read with Qualifications, Powers and Functions for Chief Electrical Inspector and Electrical Inspectors Rules, 2006 notified on 17.8.2006, the Central Government hereby appoints Shri Ashutosh Kumar Singh, General Manager (Rolling Stock, Electrical, KMRL), as Electrical Inspector for Kochi Metro Rail Ltd., from the date of this Notification till his tenure in KMRL, subject to fulfillment of the Qualification and Condition mentioned in the above Rule.

The above mentioned officer shall exercise the powers and perform his functions in respect of electrical works, electrical installations and electrical rolling stock in operation within the areas occupied by the KMRL or in respect of works and all electrical installations under the control of KMRL/belonging to KMRL as per the procedure provided in Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electricity Supply) Regulations, 2010.

KMRL will ensure that Shri Ashutosh Kumar Singh will not be the Electrical Inspector in respect of the work assigned to him as General Manager (Rolling Stock, & Electrical) in KMRL.

The person appointed as Electrical Inspector shall undergo such training as the Central Government may consider necessary for the purpose and such training shall be completed to the satisfaction of the Government.

[F. No. 42/3/2010-R&R]

JYOTI ARORA, Jt Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.